



राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर वृत्त, उदयपुर
आवास एवं आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा
भव्य नीलामी

उदयपुर वृत्त में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवास/आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है-

कॉलोनी का नाम		निविदा प्राप्त अधिकारी का पता		निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं	
दक्षिण विस्तार योजना/गोवर्धन विलास/सविना प्रथम/द्वितीय, उदयपुर/पानेरियो की मादडी (नई एवं पुरानी), उदयपुर		उप आवासन आयुक्त कार्यालय वृत्त उदयपुर उदयपुर (कमरा नं. 201)		24.06.19 से 27.06.19 सायं 5.00 बजे तक	28.06.19 अपराह्न 3.00 बजे	
गोविन्द नगर/द्वारिका नगर, राजसमंद		परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जी-18, गोविन्द नगर, राजसमंद		24.06.19 से 27.06.19 सायं 5.00 बजे तक	28.06.19 प्रातः 11.00 बजे	
Ø-l a	Hkq[k. M@ vkokl l a	Hkq[k. M@ vkokl dk uki @ {k-Qy %ox&h- e#	U; iure foØ; e#; %i ox&h&h @ ifr vkokl	/kjkqj jkf' k % - e#	मुहरबन्द प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप निविदादाता का नामश्रेणी - सामान्य/अनु.जाति /अनु.जनजाति..... (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है) पत्र व्यवहार का पता स्थायी पता दूरभाषमो.नं. आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/आवास सं.(जिसके लिये मुहरबंद निविदा प्रेषित की जा रही है) योजना का नाम:- आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर (भूखण्ड की स्थिति में दर प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दर भरें एवंनिर्मित आवास की स्थिति में प्रति आवास के हिसाब से दर भरें) संलग्न राशि रु. बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक बैंक का	आवेदक का नवीनतम स्वयं प्रमाणित फोटो
उदयपुर						
(1) दक्षिण विस्तार योजना (आवास/ड्यूपलेक्स)						
1	B-180, 183, 192	90.00	4475000.00	223750.00		
2	A-166	36.00	817000.00	40850.00		
(2) दक्षिण विस्तार योजना (व्यावसायिक भूखण्ड)						
1	SE- 96	13.50	55000.00	37125.00		
2	SE- 66, 67	27.00	52500.00	70875.00		
(3) गोवर्धन विलास, उदयपुर (आवास)						
1	1/140 & 1/121	112.50	4500000.00	225000.00		
2	1/40 & 1/41	236.25	8560000.00	428000.00		
3	2/104	67.50	1595000.00	79750.00		
4	4-AV-29	162.00	7560000.00	378000.00		
(4) सविना प्रथम, उदयपुर (व्यावसायिक भूखण्ड)						
1	04	20.25	55000.00	55688.00		
(5) द्वारकापुरी, सविना द्वितीय, उदयपुर (फ्लैट)						
1	D-402	29.17	795000.00	39750.00		
(6) सविना द्वितीय, उदयपुर (फ्लैट)						
1	S-37,39,40,47	9.00	45000.00	20250.00		
2	S-5/T-31	99.00	3551000.00	177550.00		
(7) गोविन्द नगर, राजसमंद - आवास						
1	E-80, 81, 82, 89, 90 (A)	72.00	2368000.00	118400.00		
2	E-79, 83, 84, 87, 90 (B)	73.56	2384000.00	119200.00		
	E-86	73.56	2416000.00	120800.00		
3	E-36	76.74	2417000.00	120850.00		
4	O-42/6	120.00	2675000.00	133750.00		
5	P-29/06	162.00	3157000.00	157850.00		
6	E-60, 61, 62, 67, 68, 75, 76, 77, 100, 101, O-23, 24, 25	120.00	3253000.00	162650.00		
7	E-40, 65, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, O-26	121.80	3272000.00	163600.00		
8	E-38	123.70	3292000.00	164600.00		
9	E-58, 69, 73, 74	121.80	3273000.00	163650.00		
10	E-16	123.75	3392000.00	169600.00		
11	E-78	140.55	3466000.00	173300.00		
12	E-91	150.00	3564000.00	178200.00		
13	E-102	185.25	3929000.00	196450.00		
14	Q-3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14	162.00	4637000.00	231850.00		
15	Q-2, 7, 11, 12, 15	164.34	4664000.00	233200.00		
(8) गोविन्द नगर, राजसमंद - व्यावसायिक भूखण्ड						
1	S-37,39,40,47	9.00	45000.00	20250.00		
2	S-38 (C)	9.00	48000.00	21600.00		
(9) गोविन्द नगर, राजसमंद - आवासीय भूखण्ड						
1	M-25 (A), M-25 (B)	40.49	12500.00	25306.00		
2	O-46 A, 46 B, 46 C	120.00	15525.00	93150.00		
3	Q-01 (C)	261.00	17100.00	223155.00		
(10) द्वारिका नगर, राजसमंद - आवासीय भूखण्ड						
1	F-13 (C)	97.50	12400.00	60450.00		
2	A-01 (C)	189.00	14800.00	139860.00		
(11) द्वारिका नगर, राजसमंद - आवास						
1	A-4, A-32 & G-18	162.00	3084000.00	154200.00		
2	A-26	164.70	3109000.00	155450.00		
3	A-37	235.80	3794000.00	189700.00		
4	D-11	189.00	3876000.00	193800.00		
(12) पानेरियो की मादडी (पुरानी) व्यावसायिक भूखण्ड/क्योसक						
1	S-34 & S-37	14.85	51000.00	37868.00		
2	K-01, 02, 03, 04	4.00	330000.00	16500.00		
(13) पानेरियो की मादडी (पुरानी) आवासीय भूखण्ड						
1	4-A-18 (MIG-B)	120.00	22000.00	132000.00		
2	3-C-10 (HIG)	360.00	23500.00	423000.00		

1. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/ प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड/ आवास हेतु मोहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी। 4. अमानत राशि ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो कि उदयपुर हेतु "राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर" एवं राजसमंद हेतु "राजस्थान आवासन मण्डल, राजसमंद" के पक्ष में देय होंगी। 5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घंटे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। 6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं कराता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी। 8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं कराता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद भूतलक्षी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी। 9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 10. मोहरबंद निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थिति उन निविदा दाताओं से उसी दिन बंद लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जावेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा।

11. यदि किसी कंपनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी कंपनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/ कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12. निर्मित आवास जहां है, जैसे हैं की स्थिति में ही नीलाम किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 13. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। 14. आवासीय भूखण्डों के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज राशि 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी। 15. अन्य शर्तें एवं नियम आवासन मण्डल के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाताओं को मान्य होंगी। मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb

उप आवासन आयुक्त